प्रयो ान

वित्तीय विवरणों के ‘लेखों पर टिप्पणियां’ में प्रकटीकरण के विषय में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करना ।

वर्गीकरण

मास्टर परिपत्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ारी सांविधिक दिशानिर्देश ।

अधिक्रमण किये गये पिछले दिशानिर्देश

1 ुलाई 2006 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 16/21.04.018/2006-07 द्वारा ारी ‘तुलन पत्रों में प्रकटीकरण ’संबंधी मास्टर परिपत्र ।

लागू होने की व्याप्ति

सभी वाणि य बैंकों पर (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

विन्यास

1.1	प्रस्तावना
2.1	प्रस्तुति
2.2	न्यूनतम प्रकटीकरण
2.3	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश
2.4	प्रकटीकरण की अपेक्षाएं
3.1	पूं ी
3.2	निवेश
3.2.1	रिपो लेनदेन
3.2.2	एसएलआर से इतर निवेश संविभाग
3.3	व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज़)
3.3.1	वायदा दर करार/ब्या ा दर अदला-बदली (स्वैप)
3.3.2	एक्स ों ा में लेनदेन वाले ब्या ा दर डेरिवेटिव्ज़
3.3.3	डेरिवेटिव्ज़ में ोखिम निवेश संबंधी प्रकटीकरण
3.4	आस्ति गुणवत्ता
3.4.1	अन कि आस्ति
3.4.2	पुनर्र ाना के अधीन ऋण आस्तियों के ब्योरे
3.4.3	आस्तियों की पुनर्र ाना हेतु प्रतिभूतीकरण/पुनर्र ाना कंपनी को बे ी गयी वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

3.4.4	खरीदी/बे ी गयी अन कि वित्तीय आस्तियों के ब्योरे
3.4.5	मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान
3.5	कारोबारी अनुपात
3.6	आस्ति-देयता प्रबंधन
3.7	एक्सपोज़र
3.7.1	स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश (एक्सपोज़र)
3.7.2	पूं ी बाज़ार में निवेश (एक्सपोज़र)
3.7.3	ोखिम श्रेणी-वार देश संबंधी निवेश (एक्सपोज़र)
3.7.4	बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एक्सपोज़र), समूह उधारकर्ता सीमा (ीबीएल) के उल्लंघन के ब्योरे
3.8	विविध
3.8.1	वर्ष के दौरान आय- कर हेतु किये गये प्रावधान की राशि
3.8.2	रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये दंडों का प्रकटीकरण
4.	लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं हां भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'लेखों पर टिप्पणियां' के लिए प्रकटीकरण मदों के संबंध में दिशानिर्देश ारी किये हैं
4.1	लेखा मानक 5 - अवधि, पूर्व अवधि मदों तथा लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन के लिए निवल लाभ या हानि
4.2	लेखा मानक 9 - रा स्व मान्यता
4.3	लेखा मानक 15 - कर्म ारी लाभ
4.4	लेखा मानक 17 - खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग
4.5	लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
4.6	लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण
4.7	लेखा मानक 22 - आय पर करों के संबंध में लेखा पद्धति
4.8	लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के लिए लेखा पद्धति
4.9	लेखा मानक 24 - परि ालन समाप्त करना
4.10	लेखा मानक 25 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
4.11	अन्य लेखा मानक
4.12	अतिरिक्त प्रकटीकरण
4.12.1	प्रावधान और आकस्मिकताएं
4.12.2	अस्थायी प्रावधान
4.12.3	आरक्षित निधि से आहरण द्वारा कमी
4.12.4	शिकायतों का प्रकटीकरण
	प्रकटीकरण मदों की सू ी मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सू ी

1. प्रस्तावना

वित्तीय विवरणों का उपयोग करनेवालों को आर्थिक निर्णय लेने के लिए बैंक की वित्तीय स्थिति तथा कार्य निष्पादन के संबंध में सू ाना की आवश्यकता होती है। उन्हें उसकी ालनिधि और शोधक्षमता में तुलन पत्र में प्रदर्शित आस्तियों और देयताओं तथा तुलन पत्र के बाहर अन्य मदों से संबंधित ोखिम में रुि ा होती है। पूरे और समग्र प्रकटीकरण के लिए कुछ अति उपयोगी सू ाना वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों से दी ाती है या वह सिर्प उनमें ही दी ा सकती है। टिप्पणियों और अनुपूरक सू ाना का उपयोग ऐसी कुछ मदों को स्पष्ट करने तथा प्रलेखन का साधन प्रदान करता है ो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की ाती हैं या अन्यथा वित्तीय स्थिति और रिपोर्टिंग संस्था के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं । हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में बा ार अनुशासन के मुद्दे पर काफी ध्यान दिया गया है। तथापि, बा ार अनुशासन तभी काम करता है, यदि बा ार के प्रतिभागियों को समय पर भरोसेमंद सू ाना मिले ि ससे वे बैंकों की गतिविधियों और इन गतिविधियों में निहित ोखिमों का आकलन कर सकते हैं।बा ार अनुशासन बनाने के अनेक लाभ हो सकते हैं। बासल II के अंतर्गत बा ार अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया गया है और उसके तीन स्तंभों में से इसे एक माना गया है ।

2.1 प्रस्तुति

एकरूपता बनाये रखने के लिए ‘महत्वपूर्ण रेखांकन नीतियों का सारांश’ तथा ‘लेखों पर टिप्पणियां’ क्रमशः अनुसू ी 17 और अनुसू ी 18 में दर्शायी ाएं ।

2.2 न्यूनतम प्रकटीकरण

कम-से-कम, परिपत्र में दी गयी मदें ‘लेखों पर टिप्पणियां’ में प्रकट की ानी ाहिए । बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया ाता है कि यदि प्रकटीकरण महत्वपूर्ण हो ाएं और बैंक की वित्तीय स्थिति तथा कार्यनिष्पादन को सम ाने में सहायक हों, तो परिपत्र में की गयी न्यूनतम अपेक्षा के ब ाय वे अधिक व्यापक प्रकटीकरण करें। सू ीबद्ध प्रकटीकरण का उद्देश्य संबंधित विधान या लेखांकन और वित्तीय अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं में इन्डहें केवल ोड़ना है, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करना । ाहां कहीं संगत हो, बैंक को यथा लागू इस प्रकार की अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन करना ाहिए ।

2.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

बैंकों को ाहिए कि वे अपने वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के साथ परि ालन के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में लेखांकन नीतियां एक स्थान पर प्रकट करें (अनुसू ी 17 में)। सांकेतिक सू ी में निम्नलिखित शामिल हैं - लेखांकन का आधार, लेनदेन िनमें विदेशी मुद्रा शामिल है, निवेश-वर्गीकरण, मूल्यांकन आदि, अग्रिम और उनके संबंध में प्रावधान, अ ाल आस्तियां और मूल्यहास, रा ास्व निर्धारण, कर्म ारी लाभ, कराधान के लिए प्रावधान, निवल लाभ, आदि ।

2.4 प्रकटीकरण की अपेक्षाएं

बा ार अनुशासन को ब ़ावा देने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में प्रकटीकरण की कुछ अपेक्षाएं विकसित की हैं िससे बा ार के प्रतिभागियों को पूं ी पर्याप्तता, निवेशों के ोखिम, ोखिम आकलन की प्रक्रिया तथा मुख्य व्यापारिक मापदंडों का आकलन करने का अवसर प्राप्त होता है ो सतत और सम ने योग्य ऐसा प्रकटीकरण ां ा प्रदान करते हैं िससे तुलनीयता में वृद्धि होती है। बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के संबंध में ारी किये गये एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस I) का अनुपालन करना भी अपेक्षित है। बैंकों के तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे में संशोधन तथा "लेखों पर टिप्पणियां" में किये ानेवाले प्रकटीकरण का क्षेत्र ब ़ाने से प्रकटीकरण में वृद्धि हुई है । तुलन पत्र की 16 विस्तृत अनुसू ियों के अतिरिक्त बैंकों को ‘लेखों पर टिप्पणियां’ में निम्नलिखित सू ना प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

3.1 पूं ी

मद	*ालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
i) सीआरएआर (%)		
ii) सीआरएआर - टियर I पूं ी (%)		
iii) सीआरएआर - टियर II पूं ी (%)		
iv) राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत		
v) टियर - टियर-II पूं ी के रूप में ुटाये गये गौण गौण ऋण की राशि*		

* टियर II पूं ी में शामिल करने के लिए प्रधान कार्यालय से उधार लिये गये गौण ऋण की कुल राशि को तुलन पत्र में "प्रधान कार्यालय से विदेशी मुद्रा में दीर्घावधि उधार के स्वरूप में गौण ऋण" - शीर्ष में प्रकट किया ाए ।

3.2 निवेश

(करोड़ रुपयों में)

मद	*ालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*

(1) निवेशों का मूल्य (i) निवेशों का सकल मूल्य (क) भारत में (ख) भारत के बाहर		
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान (क) भारत में (ख) भारत के बाहर (2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में घट-ब . (i) अथ शेष (ii) ोड़ें वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (iii) घटाएं वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये / प्रतिलेखन किये आवश्यकता से अधिक प्रावधान (iv) इति शेष		

3.2.1 रिपो लेनदेन

(करोड़ रुपयों में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	*वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया*	*वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया*	*31 मा र्की स्थिति के अनुसार*
रिपो के अंतर्गत बे ी गई प्रतिभूतियां				
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				

3.2.2 एसएलआर से इतर निवेश संविभाग

i) <u>एसएलआर से इतर निवेशों का निर्गमकर्ता संघटन</u>

(करोड़ रुपयों में)

सं.	*निर्गमकर्ता*	*राशि*	*नि ी नियो न का विस्तार*	*'निवेश श्रेणी से नी े' प्रतिभूतियों का विस्तार*	*'अनिर्धारित' प्रतिभूतियों का विस्तार*	*'गैर सू ीबद्ध 'प्रतिभूतियों का विस्तार*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम					
(ii)	वित्तीय संस्थाएं					
(iii)	बैंक					
(iv)	नि ी कार्पोरेट					

(v)	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उपक्रम					
(vi)	अन्य					
(vii)	मूल्यहास के संबंध में धारित प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	ोड़*					

टिप्पणी : (1) *स्तंभ नंबर 3 के अंतर्गत ोड़ तुलन पत्र की अनुसू ी 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के ोड़ से मेल खाना ाहिए

क) शेयर
ख) डिबें र और बांड
ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम
घ) अन्य

(2) ऊपर स्तंभ 4, 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत सू ित राशि पारस्परिक अनन्य नहीं होना ाहिए।

ii) अन कि एसएलआर से इतर निवेश

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	*राशि*
अथ शेष	
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान ोड़	
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	
इति शेष	
कुल धारित प्रावधान	

3.3 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज़)

3.3.1 वायदा दर करार/ब्या दर अदला-बदली (स्वैप)

(करोड़ रुपयों में)

मद	*ालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i) अदला-बदली करारों का आनुमानिक मूलधन		
(ii) यदि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) करारों के अंतर्गत अपने अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते तो होनेवाली हानियां		
(iii) अदला-बदली में शामिल होने पर बैंकों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विकता		
(iv) अदला-बदली से उत्पन्न ऋण ोखिम का संकेंदण **$**		
(v) अदला-बदली बही का उ ित मूल्य @		

नोट : ऋण तथा बा ार ोखिम पर सू ना सहित अदला-बदली की प्रकृति और शर्तों तथा अदला-बदली के अभिलेखन के लिए अपनायी गयी लेखा नीतियों को भी प्रकट करना ाहिए ।

$ संकेंद्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों में ऋणादि ोखिम अथवा अत्यधिक गतिशील कंपनियों के साथ अदला-बदली हो सकते हैं ।

@ यदि अदला-बदली विशेष आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से ुड़ी हुई हैं, तो तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार बैंक ो अनुमानित राशि प्राप्त करेगा या अदला-बदली करारों को समाप्त करने के

लिए भुगतान करेगा, वह अनुमानित राशि उ ित मूल्य होगी । लेनदेन अदला-बदली के लिए उ ित मूल्य उसका बाज़ार मूल्य होगा ।

3.3.2 एक्स ों ा में लेनदेन वाले ब्या ा दर डेरिवेटिव्ज़

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	*विवरण*	*राशि*
(i)	वर्ष के दौरान एक्स ों ा में लेनदेन वाले ब्या ा दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	
(ii)	31 मा ां ------की स्थिति के अनुसार बकाया एक्स ों ा लेनदेन वाले ब्या ा दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	
(iii)	एक्स ों ा लेनदेन वाले बकाया ब्या ा दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि तथा (ाो) "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत-वार) क) ख) ग)	
(iv)	एक्स ों ा लेनदेन वाले ब्या ा दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूल राशि का बकाया बाज़ार (मार्क-टू-मार्केट) मूल्य तथा ाो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत-वार) क) ख) ग)	

3.3.3 डेरिवेटिव्ज़ में ाोखिम निवेश संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकों को, डेरिवेटिव्ज़ के संबंध में अपनी ाोखिम प्रबंध नीतियों में विशेषकर किस स्तर पर डेरिवेटि ा का उपयोग संबंधित ाोखिम और इससे पूरे होनेवाले व्यापारिक प्रयो ान किया गया है, कि ा ाा करनी ााहिए । इस ा ाा में निम्नलिखित भी शामिल हों :

क) डेरिवेटिव्ज़ के व्यापार में ाोखिम प्रबंध के लिए संर ाना और संगठन,

ख) ाोखिम प्रबंध, ाोखिम रिपोर्ट करना तथा ाोखिम निगरानी की प्रणालियों का व्यप्ति और प्रकृति,

ग) हेज़िग के लिए नीतियां तथा/अथवा ाोखिम कम करने तथा रक्षा (हे ा)/कम करनेवाले प्रभावों की निरंतरता की निगरानी करने की विधियां,

घ) रक्षा (हे ा) तथा नॉन हे ा लेनदेनों के अभिलेखन के लिए लेखा नीति; आय निर्धारण, प्रीमियम और डिस्काउंट्स, बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा ऋण ाोखिम कम करना ।

मात्रात्मक प्रकटीकण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	*विवरण*	*मुद्रा व्युत्पन्न*	*ब्या ा दर व्युत्पन्न*
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए		
	ख) लेनदेन के लिए		
(ii)	बाज़ार दर से स्थिति [1]		
	क) आस्ति (+)		
	ख) देयता (-)		
(iii)	ऋण ाोखिम [2]		
(iv)	ब्या ा दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव (100* पीवी01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर		
	ख) लेनदेन व्युत्पन्न पर		
(v)	वर्ष के दौरान देखे गये 100* पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम		
	क) प्रतिरक्षा पर		
	ख) लेनदेन पर		

3.4 आस्ति गुणवत्ता

3.4.1 अन ाकि आस्ति

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	*ाालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अन ाकि आस्ति (%)		
(ii) अन ाकि आस्तियों (सकल) का उतार- ा.ाव		
(क) अथ शेष		
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि		
(ग) वर्ष के दौरान कमी		
(घ) इति शेष		
(iii) निवल अन ाकि और आस्तियों का उतार- ा.ाव		
(क) अथ शेष		
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि		
(ग) वर्ष के दौरान कमी		

(घ) इति शेष (iv) अन कि आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार- I .ाव (मानक आस्तियों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर) (क) अथ शेष (ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना /पुनरांकन (घ) इति शेष		

3.4.2 पुनर्र ाना के अधीन ऋण आस्तियों के ब्योरे

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	*ाालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i) पुनर्र ाना, पुनर्निर्धारण, पुनः परक्रामण के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि; - इसमें से सीडीआर के अंतर्गत (ii) पुनर्र ाना, पुनर्निर्धारण, पुनः परक्रामण के अधीन मानक आस्तियों की राशि; - इसमें से सीडीआर के अंतर्गत (iii) पुनर्र ाना, पुनर्निर्धारण, पुनः परक्रामण के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि; - इसमें से सीडीआर के अंतर्गत (iv) पुनर्र ाना, पुनर्निर्धारण, पुनः परक्रामण के अधीन संदिग्ध आस्तियों की राशि;ध - इसमें से सीडीआर के अंतर्गत नोट : [(i) = (ii)+ (iii) +(iv)]		

3.4.3 आस्तियों की पुनर्र ाना हेतु प्रतिभूतीकरण /पुनर्र ाना कंपनी को बे ाी गयी वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

विवरण	*ाालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i) खातों की संख्या (ii) एस सी/आर सी को बे ो गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को छोड़कर)		

(iii) कुल प्रतिफल (iv) पिछले वर्षों में अंतरित किए गए खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल (v) निवल बहि मूल्य की तुलना में कुल लाभ /हानि		

3.4.4 खरीदी/बे ाी गयी अन कि वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

 ाो बैंक अन्य बैंकों से अन कि वित्तीय आस्तियां खरीदते हैं उन्हें अपने तुलन पत्रों में लेखों पर टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे :

अ. *खरीदी गयी अन कि वित्तीय आस्तियों के ब्योरे*

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	*ाालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या		
(ख) कुल बकाया		
2. (क) इनमें से, वर्ष के दोरान पुनर्रा ात खातों की संख्या		
(ख) कुल बकाया		

आ. बे ाी गयी अन कि वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	*ाालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
1. बे ो गये खातों की संख्या		
2. कुल बकाया		
3. प्राप्त कुल प्रतिफल		

3.4.5 मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान

विवरण	*ाालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान		

टिप्पणी   मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधानों को सकल अग्रिमों में से घटाने की आवश्यकता नहीं है परंतु उन्हें तुलनपत्र की अनुसू ाी सं. 5 में 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान-अन्य' के अंतर्गत 'मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दर्शाया ााए।

3.5 कारोबारी अनुपात

विवरण		ालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्या ा आय		
(ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्या ा आय		
(iii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परि ालन लाभ		
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल @		
(v)	प्रति कर्म ारी कारोबार (मा तथा अग्रिम)#		
(vi)	प्रति कर्म ारी लाभ		

वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत फार्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए अनुसार कुल आस्तियों (सं ित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में कार्यकारी निधियों की गणना की ाए ।

@ 'आस्तियों पर प्रतिफल' औसत कार्यकारी निधियों (अर्थात् सं ित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर आस्तियों का ोड़) के संदर्भ में होगा।

 # प्रति कर्म ारी कारोबार (मा तथा अग्रिम) के परिकलन के प्रयो न हेतु अंतर बैंक माराशियों को छोड़ दिया ाए।

3.6 आस्ति-देयता प्रबंधन

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(करोड़ रुपयों में)

	1 से 14 दिनों तक	15 से 28 दिनों तक	29 दिन से 3 महीने तक	3 महीने से अधिक तथा 6 महीने तक	6 महीने से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
मा									
अग्रिम									
निवेश									
उधार									
विदेशी मुद्रा आस्तियां									
विदेशी मुद्रा देयताएं									

3.7 एक्सपोज़र

3.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश (एक्सपोज़र)

श्रेणी		ालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	प्रत्यक्ष निवेश (एक्सपाज़र) (i) आवासीय बंधक आवासीय संपत्ति, ो उधारकर्ता द्वारा अधिकार में ली गयी है या ली ाएगी या भाड़े पर दी गयी है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः मानती उधार; (15 लाख रुपये तक के अलग-अलग आवासीय ऋणों को पृथक दर्शाया ाए)		

	(ii) वाणि यक स्थावर संपदा - वाणि यक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन; पुटकर स्थान, बहु उद्देशीय वाणि य परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदारों का वाणि यक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अ नि, विकास और निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा मानती उधार। निवेश में गैर-निधिक आधारित (एन एफ बी) सीमाएं भी शामिल होंगी। (iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य मा प्रतिभूतिकृत निवेश (एक्सपोज़र) क. आवासीय ख. वाणि यक स्थावर संपदा		
ख)	अप्रत्यक्ष निवेश (एक्सपाज़र) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनए बी)और आवास वित्त कंपनियों (ए एफसी) के संबंध में निधी आधारित तथा गैर-निधी आधारित निवेश		

3.7.2 पूं ी बाज़ार में निवेश (एक्सपोज़र)

	विवरण	*ालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबें रों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यु युअल पंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश िनकी मूलनिधि पूरी तरह से कंपनी ऋण में निवेश नहीं की ाती है;		
(ii)	शेयरों (आइपीओ / इएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबें रों, ईक्विटी उन्मुख म्यु युअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों /बांडों/डिबें रों या अन्य प्रतिभूतियों की मानत पर या निर्बंध आधार पर अग्रिम;		
(iii)	किसी ऐसे अन्य प्रयो न के लिए अग्रिम हां शेयरों में परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबें रों या ईक्विटी उन्मुख म्यु युअल पंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया ाता है;		

(iv)	किसी अन्य प्रयो ान के लिए उस सीमा तक अग्रिम ि ास सीमा तक वह शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबें ारों या ईक्विटी उन्मुख म्यु युअल पंडों के यूनिटों की समपाश्दिवक ामानत द्वारा ामानत प्राप्त है अर्थात् ाहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबें ारों /ईक्विटी उन्मुख म्यु युअल पंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्ण ामानत प्रदान नहीं करती;		
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को ामानती तथा गैर- ामानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गयी गारंटियां		
(vi)	कंपनियों को संसाधन ाुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनी की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबें ारों या अन्य प्रतिभूति की ामानत पर या निर्बंध आधार पर मं ाूर ऋण;		
(vii)	संभावित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की ामानत पर कंपनियों को पूरक ऋण ;		
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबें ारों या ईक्विटी उन्मुख म्यु युअल पंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संदर्भ में बैंकों द्वारा किये गये हामीदारी वायदे;		
(ix)	मार्ा नि ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों का वित्तपोषण ;		
(x)	उद्यम पूं ाी निधियों (पं ाीकृत और अपं ाीकृत दोनों) के सभी एक्सपोज़रों को ईक्विटी के समकक्ष सम ाा ाायेगा और इसलिए पूं ाी बा ाार एक्सपाज़र की उ ातम सीमा (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों) के अनुपालन के लिए गिना ााएगा। पूं ाी बाज़ार में कुल निवेश		

3.7.3 ाोखिम श्रेणी-वार देश संबंधी निवेश (एक्सपोज़र)

*ाोखिम श्रेणी **	*मा ाि...... (ाालू वर्ष) को निवेश (निवल)*	*मा ाि...... (ाालू वर्ष) को धारित प्रावधान*	*मा ाि...... (पिछले वर्ष) को निवेश (निवल)*	*मा ाि...... (पिछले वर्ष) को धारित प्रावधान*
महत्वपूर्ण नहीं				
निम्न				
सामान्य				
उ ा				
अति उ ा				
प्रतिबंधित				
ऋण रहित				

कुल				

* ाब तक बैंक आंतरिक रेटिंग प्रणाली नहीं अपनाते तब तक बैंक देश संबंधी ाोखिम निवेश के लिए वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के प्रयो ान हेतु भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (इसी ाीसी) द्वारा अपनाये ााने वाले सात श्रेणी के वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। इसी ाीसी अनुरोध करने पर बैंकों को उनके देश संबंधी वर्गीकरण की तिमाही अद्यतन स्थिति प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश संबंधी वर्गीकरण में अ ाानक होनेवाले प्रमुख परिवर्तनों के बारे में सभी बैंकों को सू ात करेगा।

3.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एस ाीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (ाीबीएल) के उल्लंघन के ब्योरे

वर्ष के दौरान ाहां बैंक ने विवेकपूर्ण निवेश सीमाओं से अधिक निवेश किया हो वहां ऐसे प्रकटनों के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरणों के ‘लेखा पर टिप्पणियां’ में बैंक को उ ात प्रकटन करना ााहिए। स्वीकृत सीमाओं अथवा समग्र बकाया, ाो भी अधिक हो, की निवेश सीमा के निर्धारण और प्रकटन के प्रयो ान के लिए गणना की ााएगी।

3.8 विविध

3.8.1 वर्ष के दौरान आय-कर हेतु किये गये प्रावधान की राशि

विवरण	*ाालू वर्ष*	*पिछले वर्ष*
आय-कर के लिए प्रावधान		

3.8.2 रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये दंडों का प्रकटीकरण

वर्तमान में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के प्रावधान के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश, नियम अथवा शर्त के उल्लंघन के लिए वाणि य बैंक पर दंड लगाने का अधिकार रिज़र्व बैंक को है। विनियामक द्वारा लगाये गये दंडों के प्रकटन के संबंध में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों पर लगाये गये दंडों के ब्योरे सार्व ानिक माध्यम (पब्लिक डोमेन) पर देना निदेशकों तथा ामाकर्ताओं के हित में होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि निरीक्षण रिपोर्टों अथवा अन्य प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर बाध्यताओं अथवा निदेशों को सार्व ानिक माध्यम पर रखा ााना ााहिए। दंड को तुलन पत्र के ‘लेखों पर टिप्पणियां’ में भी प्रकट किया ााना ााहिए।

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं ाहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'लेखों पर टिप्पणियां' के लिए प्रकटीकरण मदों के संबंध में दिशानिर्देश ाारी किये हैं :

4.1 लेखा मानक 5 - अवधि, पूर्व अवधि मदों तथा लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन के लिए निवल लाभ या हानि।

ूंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसू ाी के अंतर्गत फार्म बी में निर्धारित लाभ-हानि लेखों के फार्मेट में ाालू वर्ष के लाभ तथा हानि पर पूर्व अवधि मदों के प्रभावों के प्रकटन के लिए विशिष्ट रूप में प्रावधान किया नहीं ााता है, अतः ऐसे प्रकटन, ाहां- ाहां अभीष्ट हो, तुलनपत्र के लेखों पर टिप्पणियों में किये ााएं।

4.2 लेखा मानक 9 - रा ास्व मान्यता

इस मानक के लिए यह अपेक्षित है कि 'लेखा संबंधी नीतियों का प्रकटन' (एएस 1) के संबंध में लेखा मानक 1 द्वारा अपेक्षित प्रकटन के अलावा किसी उद्यम द्वारा उन परिस्थितियों को भी प्रकट करना ााहिए ि ानमें महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के संबंध में प्रस्ताव को लंबित रखते हुए रा ास्व मान्यता स्थगित की गयी है ।

4.3 लेखा मानक 15 - कर्म ाारी लाभ

'लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन'/'प्रमुख लेखा नीतियां' के संबंध में उपयुक्त अनुसू ाी में लेखा प्रणाली नीति में परिवर्तन को बैंकों द्वारा प्रकट करना होगा। बैंक के निदेशक मंडल को वीआरएस व्यय के संबंध में अपनायी गयी लेखा नीतियों को प्रकट करना होगा। यदि वीआरएस के आवेदन लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद स्वीकार किए गए थे तो निदेशक मंडल को बोर्ड रिपोर्ट में इस तथ्य को तथा वीआरएस के संभाव्य प्रभाव को प्रकट करना होगा।

4.4 लेखा मानक 17 - खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग

लेखा मानक का अनुपालन करते समय, बैंकों को निम्नलिखित को अपनाना होगा

क) व्यवसाय खंड को सामान्यतः मुख्य रिपोर्टिंग फॉर्मेट तथा भौगोलिक खंड को अनुषंगी रिपोर्टिंग फॉर्मेट सम ाा ााए।

ख) व्यवसाय खंड होंगे 'रा ाकोष', 'अन्य बैंकिंग परि ाालन' तथा 'शेष परि ाालन'।

ग) 'देशी' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय' खंड, प्रकटीकरण के लिए भौगोलिक खंड होंगे।

घ) बैंक खंडों के बी ा व्यय के विनियो ान के लिए तर्कसंगत तथा सुसंगत आधार पर अपनी खुदकी पद्धतियां अपना सकते हैं।

लेखा मानक 17- खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए फॉर्मेट

भाग क - व्यवसाय खंड

(करोड़ रुपयों में)

व्यवसाय खंड →	रा ाकोष		अन्य बैंकिंग परि ालन		शेष परि ालन		अन्य बैंकिंग परि ालन		कुल	
विवरण ↓	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
रा ास्व										
परिणाम										
विनियो ात किए गए व्यय										
परि ालन लाभ										
आय कर										
असाधारण लाभ / हानि										
निवल लाभ										
अन्य ानकारी										
खंड आस्तियां										
विनियो ात न की गयी आस्तियां										
कुल आस्तियां										
खंड देयताएं										
विनियो ात न की गयी देयताएं										
कुल देयताएं										

टिप्पणी : शेड किए गए भाग में कोई प्रकटीकरण न किया ाए ।

भाग ख - भौगोलिक खंड

(करोड़ रुपयों में)

	देशी		*अंतर्राष्ट्रीय*		*कुल*	
	वर्तमान वर्ष	*पिछला वर्ष*	*वर्तमान वर्ष*	*पिछला वर्ष*	*वर्तमान वर्ष*	*पिछला वर्ष*
रा ास्व						
आस्तियां						

4.5 लेखा मानक - 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

यह मानक संबंधित पार्टी संबंधों तथा रिपोर्टिंग उद्यम तथा उसकी संबंधित पार्टियों के बी ा लेनदेनों को रिपोर्ट करने के लिए लागू किया ााता है। सामान्य स्पष्टीकरण (ीसी) 2/2002 के एक भाग के रूप में आइसीआइए द्वारा संस्तुत निदर्शी प्रकटीकरण फॉर्मेट को बैंकों हेतु उपयुक्त बनाने के लिए उ ित रूप से आशोधित किया गया है। एएस के लिए बैंकों द्वारा प्रकटीकरण का निदर्शी फॉर्मेट नी े प्रस्तुत है ।

<u>लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों के लिए फॉर्मेट</u>

एएस 18 के पैराग्राफ 23 तथा 26 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरणों की पद्धति नी े दी गयी है। यह नोट किया ााए कि फॉर्मेट व्यापक नहीं है बल्कि केवल निदर्शी है।

(करोड़ रुपयों में)

मद / संबंधित पार्टी	मूल कंपनी (नियंत्रण / या स्वामित्व के अनुसार)	अनुषंगी कंपनियां	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक @	मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार	कुल
उधार #						
ामाराशि #						
ामाराशियों का नियो ान						
अग्रिम #						
निवेश #						
गैर-निधिक व ान बद्धताएं						
उपयोग में लायी गयी पट्टादायी/ए ापी व्यवस्थाएं #						
प्रदान की गयी पट्टादायी / ए ापी व्यवस्थाएं						
अ ाल आस्तियों की खरीद						
अ ाल आस्तियों की बिक्री						
प्रदत्त ब्या ा						
प्राप्त ब्या ा						
सेवाएं प्रदान करना *						
सेवाएं प्राप्त करना *						
प्रबंधन संविदाएं						

टिप्पणी ाहां संबंधित पार्टी की किसी भी श्रेणी में केवल एक ही कंपनी है, वहां बैंकों को उस संबंधित पार्टी के संबंध में, उस संबंधित पार्टी के साथ के रिश्ते के अलावा कोई ब्यौरे प्रकट करना आवश्यक नहीं है (देखें दिशानिर्देशों का पैरा 8.3.1)

* संविदा सेवाएं आदि शामिल हैं तथा विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि ौसी सेवाएं शामिल नहीं हैं ।

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक तथा भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

\# वर्ष के अंत में बकाया शेष तथा वर्ष के दौरान अधिकतम को प्रकट किया ााए ।

<u>संबंधित पार्टियों के नामों तथा बैंक के साथ उनके रिश्ते का निदर्शी प्रकटीकरण</u>

1. मूल	ए लि.
2. अनुषंगी कंपनियां	बी लि. तथा सी लि.
4. सहयोगी	पी लि. क्यू लि. तथा आर लि.
5. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी	एल. लि.
6. मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री एम तथा श्री एन
7. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार	श्री डी तथा श्री ई

4.6 लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण

बैंक, समेकित वित्तीय विवरणों पर 'लेखों पर टिप्पणियां' में प्रकटीकरणों के संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर ारी किये गये सामान्य स्पष्टीकरणों का अनुसरण करें ।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाली मूल कंपनी सभी अनुषंगी कंपनियों - एएस-21 के अंतर्गत छोड़ने के लिए विशिष्ट रूप से अनुमत कंपनियों को छोड़कर, देशी तथा विदेशी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित करेगी। किसी अनुषंगी कंपनी का समेकन न किये ाने के कारण समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट किये ाने ाहिए। किसी विशिष्ट कंपनी को समेकन में शामिल करना है अथवा नहीं, इस पर निर्णय लेने का दायित्व मूल कंपनी के प्रबंध तंत्र का होगा। यदि, उस कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की यह राय है कि िास कंपनी को समेकित करना आवश्यक था उसे छोड़ दिया गया है, तो इस संबंध में वे अपने अभिमत टिप्पणियाँ "लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट" में शामिल करें।

4.7 लेखा मानक 22 - आय पर करों के संबंध में लेखा पद्धति

यह मानक आय पर करों के संबंध में लेखा पद्धति के लिए लागू किया ाता है । इसमें लेखा अवधि के संबंध में आय पर करों से संबंधित व्यय अथवा ब ात की राशि का निर्धारण तथा वित्तीय विवरणों में ऐसी राशि का प्रकटीकरण शामिल है । एएस 22 को अपनाने से बैंकों की लेखा बहियों में या तो आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) अथवा आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का निर्माण हो सकता है तथा डीटीए अथवा डीटीएल के निर्माण से कुछ ऐसे मामले उत्पन्न होंगे िानका पूं ाी पर्याप्तता अनुपात की गणना तथा लाभांश घोषित करने की बैंक की क्षमता पर असर पड़ेगा । इस संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया ाता है

- लेखा मानक 22 को लागू करने के पहले दिन रा ास्व आरक्षित निधियों के अथशेष में अथवा ाालू वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे में नामे डालकर निर्माण की गयी डीटीएल को तुलन पत्र में अनुसू ाी 5 - 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' की मद (vi) 'अन्य (प्रावधानों सहित)' के अंतर्गत शामिल किया ाए। डीटीएल खाते में ामा शेष, पूं ाी पर्याप्तता के प्रयो ान से टियर I अथवा टियर II पूं ाी में शामिल किये ाने के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि वह पूं ाी की पात्र मद नहीं है ।
- लेखा मानक 22 को लागू करने के पहले दिन रा ास्व आरक्षित निधि के अथशेष में ामा करके अथवा ाालू वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा में ामा करके निर्माण की गयी डीटीए को तुलन पत्र में अनुसू ाी 11 'अन्य आस्तियां' की मद (vi) 'अन्य' में शामिल किया ाए ।

- डीटीए के निर्माण के परिणामस्वरूप बैंक के तुलन पत्र में किसी मूर्त आस्ति के योग के बिना ही बैंक की टियर 1 पूं ी में वृद्धि होती है । अतः पूं ी पर्याप्तता पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, डीटीए, ो कि एक अमूर्त आस्ति है, को टियर 1 पूं ी से घटाया ाए ।

4.8 लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के लिए लेखा पद्धति

यह लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के समूह की वित्तीय स्थिति तथा परि ालनगत परिणामों पर होनेवाले प्रभावों को पह ानने के लिए सिद्धांतों तथा क्रियाविधियों को स्थापित करता है। कोई बैंक अपने अग्रिमों की पूर्ति में उधारकर्ता कंपनी में 20 प्रतिशत से अधिक मताधिकार अर् ित करेगा तथा वह यह सिद्ध कर सकेगा कि उसके पास उल्लेखनीय प्रभाव का प्रयोग करने की शक्तियां नहीं हैं क्योंकि उसके द्वारा निष्पादित अधिकार संरक्षी स्वरूप के हैं न कि सहभागी स्वरूप के । ऐसी परिस्थिति में इस लेखा मानक के अंतर्गत ऐसे निवेश सहयोगी कंपनी में निवेश के रूप में नहीं सम ा ाए। अतः ां ा केवल निवेश के अनुपात की नहीं होनी ाहिए बल्कि उल्लेखनीय प्रभाव का प्रयोग करने के लिए शक्ति अर् ित करने के उद्देश्य की होनी ाहिए ।

4.9 लेखा मानक 24 - परि ालन समाप्त करना

उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलयन/बंद करने को परि ालन की समाप्ति नहीं सम ा ाए तथा इसलिए यह लेखा मानक उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलयन/बंद किये ाने पर लागू नहीं होगा ।
इस मानक के अंतर्गत प्रकटीकरण केवल तब आवश्यक होंगे ब

क) परि ालन की समाप्ति के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा आस्तियों की प्राप्ति तथा देयताओं में कटौती हुई है अथवा

किसी परि ालन को समाप्त करने के निर्णय, िससे उपर्युक्त प्रभाव होगा, को बैंक ने अंतिम रूप दिया है तथा

ख) परि ालन की समाप्ति अपनी संपूर्णता में पर्याप्त है ।

4.10 लेखा मानक 25 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

सेबी के साथ वि ार-विमर्श करके भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 17 मई 2001 के परिपत्र बैंपर्यवि. एआरएस सं. बीसी. 13/08.91.001/2000-01 द्वारा निर्धारित अर्ध वाष्डि ादक समीक्षा प्रकटीकरणों में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी बैंकों (सू ीबद्ध तथा गैर-सू ीबद्ध दोनों) पर लागू किया गया है। बैंक इस प्रयो ान से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्मेट अपना सकते हैं।

4.11 अन्य लेखा मानक

बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ारी विभिन्न लेखा मानकों के अंतर्गत निर्धारित प्रकटीकरण मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है ।

4.12 अतिरिक्त प्रकटीकरण

4.12.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरणों के आसानी से प ़ा ा सके तथा सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं के संबंध में सू ाना एक ागह उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे 'लेखों पर टिप्पणियां' में निम्नलिखित सू ाना प्रकट करें :

लाभ -हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'प्रावधान और आकस्मिकताएं' के अलग-अलग आंकड़े	*ालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
अन कि आस्ति हेतु प्रावधान		
मानक आस्ति हेतु प्रावधान		
आयकर हेतु किया गया प्रावधान		
आय प्रावधान और आकस्मिकता (ब्योरे सहित)		

4.12.2 अस्थायी प्रावधान

बैंकों को तुलन पत्र में 'लेखों पर टिप्पणियाँ' में निम्नलिखित के संबंध में अस्थायी प्रावधानों के बारे में व्यापक प्रकटीकरण करना ाहिए :

विवरण	*ालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष,		
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा,		
(ग) लेखा वर्ष के दौरान की गयी आहरण द्वारा कमी की राशि		
(घ) अस्थायी प्रावधान खातें में इति शेष।		

टिप्पणी : लेखा वर्ष के दौरान की गयी आहरण द्वारा कमी के प्रयो न का उल्लेख किया ाए।

4.12.3 आरक्षित निधि से आहरण द्वारा कमी

आरक्षित निधि से आहरण द्वारा कोई कमी की गयी हो। (ड्रा डाउन) तो उसका तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां' में उपयुक्त प्रकटीकरण किया ाए।

4.12.4 शिकायतों का प्रकटीकरण

बैंकों को यह भी सू ित किया गया है कि वे अपने वित्तीय परिणामों के साथ निम्नलिखित के संक्षिप्त ब्यौरे प्रकट करें

अ. <u>ग्राहक शिकायतें</u>

(क)	वर्ष के प्रारंभ में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की संख्या	
(घ)	वर्ष के अंत में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	

आ. <u>बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णय</u>

(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णयों की संख्या	
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या की संख्या	

अनुबंध - 1

क्र. सं.	प्रकटीकरण मदों की सू ी
1	पूं ी पर्याप्तता अनुपात
2	पूं ी पर्याप्तता अनुपात - टियर । पूं ी
3	पूं ी पर्याप्तता अनुपात - टियर ।। पूं ी
4	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत
5	टियर ।। पूं ी के रूप में ुटाए गये गौण ऋण की राशि
6	निवेशों आदि का सकल मूल्य
7	निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान
8	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में घट-ब .
9	रिपो लेनदेन
10	सांविधिक ालनिध अनुपात से इतर निवेश संविभाग
11	वायदा दर करार /ब्या ा दर अदला-बदली (स्वैप)
12	एक्स ें ा में लेनदेन वाले ब्या ा दर डेरिवेटिव ा
13	डेरिवेटिव ा में ोखिम निवेशों पर प्रकटीकरण
14	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अन कि आस्तियों का प्रतिशत
15	अन कि आस्तियों में उतार- ा .ाव
16	अन कि आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि
17	अन कि आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि में उतार - ा .ाव
18	पुनर्र ना के अधीन ऋण आस्तियों के ब्यौरे
19	सीडीआर के अंतर्गत पुनर्व्यवस्था
20	आस्ति पुनर्र ना के लिए एससी/आरसी को बे ी गयी वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे
21	खरीदी /बे ी गयी अन कि आस्ति के ब्यौरे
22	मानक आस्ति के लिए प्रावधान
23	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्या ा आय
24	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्या ा से इतर आय
25	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परि ालन लाभ
26	आस्तियों पर प्रतिलाभ
27	प्रति कर्म ारी कारोबार (मााराशि तथा अग्रिमों का ोड़)
28	प्रति कर्म ारी लाभ
29	ऋणों तथा अग्रिमों की परिपक्वता का स्वरूप
30	निवेश प्रतिभूतियों की परिपक्वता का स्वरूप
31	माराशियों की परिपक्वता का स्वरूप
32	उधार राशियों की परिपक्वता का स्वरूप
33	विदेशी मुद्रा आस्तियां तथा देयताएं
34	स्थावर संपदा में निवेश (एक्सपोज़र)

35	पूं ी बाज़ार में निवेश (एक्सपोज़र) -ईक्विटी शेयर आदि में निवेश
36	मार्ा नि ामा व्यापार के लिए बैंक वित्तपोषण
37	देश विशेष संबंधी ोखिम निवेश
38	बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता /समूह उधारकर्ता सीमा के उल्लंघन के ब्यौरे
39	वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान
40	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गये दंडों का प्रकटीकरण
41	समेकित वित्तीय विवरण - एएस 21
42	खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग - एएस 17
43	संबंधित पार्टी प्रकटीकरण - एएस 18
44	संबंधित लेखा मानकों के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण
45	‘प्रावधान और आकस्मिकताएत ’ का प्रकटीकरण
46	अस्थायी प्रावधान संबंधी प्रकटीकरण
47	आरक्षित निधियों के ड्रा डाउन संबंधी प्रकटीकरण
48	शिकायतों का प्रकटीकरण

अनुबंध - 2

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सू ी

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र की संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
1	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 91/ सी.686-91	28 फरवरी 1991	सभी	लेखा नीतियां - बैंकों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता	2
2.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 78/ सी.686-91	06 फरवरी 1991	3, 4	तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा का संशाधित फॉर्मेट	2
3.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 59/ 21.04.048/97	21 मई 1997	1, 2, 3	बैंकों के तुलन पत्र -प्रकटीकरण	3.1(i)(iv)(v); 3.2. (1): 3.4.1(i)3.8.1
4.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.018/98	27 नवरी 1998	2	बैंकों के तुलन पत्र -प्रकटीकरण	3.1 (ii)(iii) 3.5. (i) से (iv)
5.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 32/ 21.04.018/98	29 अप्रैल 1998	(ii)(क)(ख)	पूं ी पर्याप्तता - तुलनपत्रों में प्रकटीकरण	3.5 (i) से (vi)
6.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.018/99	10 फरवरी 1999	3, 4,	बैंकों के तुलन पत्र - ानकारी का प्रकटीकरण	3.4.1 (ii)(iii); 3.6
7.	एमपीडी. बीसी. 187/ 07.01.279/1999-2000	7 ुलाई 1999	1, अनुबंध 3(v)	वायदा दर करार /ब्या ा दर स्वैप	3.3.1
8.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 164/ 21.04.048/2000	24 अप्रैल 2000	3	पूं ी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन आदि पर विवेकपूर्ण मानदंड	3.4.4
9.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/ 21.04.018/2000-01	30 नवरी 2001	2.6	स्वे छा सेवानिवृत्ति यो ना (वीआरएस) व्यय - लेखा तथा विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार	4.3
10	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.04. 048/2000-01	30 मा र् 2001	7	पुनर्र ित लेखा का व्यवहार	3.4.2
11.	बैपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/13.07.05/ 2000-01	15 दिसंबर 2006	2.1	ईक्विटी तथा शेयरों में निवेश के लिए बैंक वित्तपोषण - संशोधित दिशानिर्देश	3.7.2
12.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 27/21.04.137/2001	22 सितंबर 2001	6	मार् नि ीमा व्यापार के लिए बैंक वित्तपोषण	3.7.2(vi)
13.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी.	27 अक्तूबर	2(i)(ii)	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय -	3.2(2); 3.4.1

	38/21.04.018/2001-02	2001		वर्ष 2001-2002 के लिए मध्यावधि समीक्षा -तुलन पत्र प्रकटीकरण	(iv)
14.	बैपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 65/23.10. 015/ 2001-02	14 फरवरी 2002	1,10	टियर ।। पूं ी में सम्मिलित करने के लिए अधीनस्थ ऋण- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में मुख्यालय उधार	3.1 स्पष्टीकरण
15.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 84/21.04.018/2001-02	27 मा ा 2002	2	बैंकों का तुलन पत्र - ाानकारी का प्रकटीकरण	3.2 (2)
16.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 68/21.04.132 /2002-03	05 फरवरी 2003	1, अनुबंध 6	कंपनी ऋण पुनर्र ाना (सीडीआर)	3.4.2
17.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 71/21.04.103/2002-03	19 फरवरी 2003	1 अनुबंध 24 (क) ख)	भारत में कार्यरत बैंकों द्वारा देश विशेष को ऋण देने में निहित ाोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश	3.7.3
18.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/21.04.018/2001-02	25 फरवरी 2003	16	समेकित पर्यवेक्षण की सहायता के लिए समेकित लेखा तथा अन्य मात्रात्मक पद्धतियों के लिए दिशानिर्देश	4.6
19.	आइडीएमसी. 3810/ 11. 08. 10/2002-03	24 मा ा 2003	1,5(v)	रिपो /रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एकसमान लेखा के लिए दिशानिर्देश	3.2.1
20.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/21.04.018/2002-03	29 मा ा 2003	4.3.2, 5.1, 6.3.1, 7.3.2, 8.3.1	बैंकों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन पर दिशानिर्देश	4.1 से 4.5
21.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/ 21.04.048/2002-03	23 अप्रैल 2003	1, अनुबंध 6	एससी/आरसी (सरपेसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्मित) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री तथा संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश	3.4.3
22.	आइडीएमसी. एमएसआरडी. 4801/ 06.01.03/ 2002-03	03 ाून 2003	4(x)	एक्स् ों ा में लेनदेन वाले ब्या ा दर डेरिवेटि‍ ा पर दिशानिर्देश	3.3.2
23.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/21.04.141/2003-04	12 नवंबर 2003	परिशिष्ट 11 (4)	सांविधिक ालनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड	3.2.2
24.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 82/21.04.018/2003-04	30 अप्रैल 2004	4.3.2	बैंकों द्वारा लेखा मानको के अनुपालन पर दिशानिर्देश	4.9
25.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 100/21.03.054/ 2003-	21 ाून 2004	2(v)	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा ऋण	3.7.4

	04			आदि ोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं	
26.	बैपविवि. बीपी. बीसी. 49/21.04.018/2004-05	19 अक्तूबर 2004	5	प्रकटीकरण के माध्यम से बैंकों के मामलों में पारदर्शिता में वृद्धि	3.8.2
27.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/21.04.018/2004-05	03 मा ी 2005	अनुबंध	डेरिवेटि ा में ोखिम निवेश पर प्रकटीकरण	3.3.3
28.	डीबीएस. सीओ. पीपी. बीसी. 21/11.01.005/ 2004-05	29 ून 2005	2. (क) (ख)	स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश	3.7.1
29.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/21.04.04/2005-06	13 ुलाई 2005	7	खरीदी / बे ी गयी अन कि आस्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश	4.12.1
30.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 86/21.04.018/2005-06	29 मई 2006	3	तुलन पत्रों में प्रकटीकरण-प्रावधान और आकस्मिकताएं	4.12.1
31.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/21.04.048/2005-06	22 ून 2006	2.(iv)	अस्थायी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग के सबंध में विवेकपूर्ण मानदंड	4.12.2
32.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 86/21.04.018/2005	20 सितंबर 2006	3.(iii)	बैंक्कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2)- आरक्षित निधि से विनियोग	4.12.3
33.	बैपविवि. सं. एलई ी. बीसी. 60/09.07.005/2006-07	22 फरवरी 2007	3.	शिकायतों का विश्लेषण और प्रकटीकरण - वित्तीय परिणामों सहित शिकायतों का प्रकटीकरण / कार्यान्वित न किये गये बैंकिंग लोकपाल के अधिनिर्णय	4.12.4
34.	बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 86/21.04.018/2005	18 अप्रैल 2007	4	दिशानिर्देश - लेखा मानक 17 (खंड रिपोर्टिंग) - प्रकटीकरणों में वृद्धि	4.4